कामकाजी महिला

वर्ष 7 अंक 3 अक्टूबर 1994 मूल्य : 2 रुपये

29 सितंबर की हड़ताल के लिए राष्ट्रीय मंच के आह्वान का शानदार प्रत्युत्तर

जन संगठनों का राष्ट्रीय मंच 29 सितंबर 1994 की आम हड़ताल के लिये शानदार प्रत्युत्तर देने पर सभी महिलाओं एवं पुरुषों को हार्दिक बधाई देता है। इस हड़ताल का आह्वान भारत सरकार की विनाशकारी आर्थिक नीतियों के विरोध में किया गया था। भारत सरकार ने अत्यंत निर्लज्जतापूर्वक गैट करार पर हस्ताक्षर किये हैं। देश की वर्तमान राजनीतिक एवं आर्थिक स्थितियां बहुत गम्भीर हो चुकी हैं। इनकी दिशा बदलने के लिए मजूदर वर्ग द्वारा जुझारू प्रतिरोध किये जाने की आवश्यकता है। 29 सितंबर की हड़ताल अब तक की गई सभी हड़तालों से बड़ी थी। इस आम हड़ताल ने पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार, त्रिपुरा तथा तमिलनाडु में तो लगभग बंद का रूप ही ले लिया था। उल्लेखनीय है कि कोयला उद्योग में काम करने वाले साढ़े सात लाख श्रमिकों, बैंकिंग उद्योग, इस्पात, गोदी एवं बंदरगाह, डाक एवं तार विभाग के कर्मचारियों ने लभभग पूर्ण हड़ताल की। अनेक स्थानों पर श्रमिकों ने हाथों में लाल झंडे थाम कर भारी प्रदर्शन किये। रेल रोको आंदोलन भी अनेक राज्यों में सफल रहा। इस पूरे आंदोलन का महत्वपूर्ण पक्ष ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों तथा खेत मजदूरों का उसमें भाग लेना है।

जन संगठनों के राष्ट्रीय मंच के आह्वान पर आयोजित सभी जन अभियानों में महिलाओं ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया है। जनवादी महिला समिति तथा अन्य महिला संगठनों ने रेल रोको कार्यक्रम में धरने दिये, गिरफ्तारी दी तथा 29 सितंबर की आम हड़ताल में भाग लिया। नागरिक अवज्ञा आंदोलन के समय 29 अगस्त को सी पी आई (एम) की ओर से कृषि भवन, नयी दिल्ली के समक्ष भारी प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में सैंकड़ों महिलाएं जिन्होंने अपने बच्चों को उठाया हुआ था, शामिल हुई और उन्होंने पुलिस अवरोधकों को तोड़कर गिरफ्तारी दी। उन्हें सात दिन कैद का दण्ड दिया गया। सभी राज्यों में महिला वालंटियरों ने आंदोलन के समय लाल झंडे हाथों में उठाकर क्रांति के गीत गाए हैं। पंजाब में पुलिस द्वारा कार्यकर्ताओं पर अत्यंत निर्दयतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया। पुलिस की इस नृशंस कार्रवाई का शिकार महिलाएं भी हुई हैं। अमृतसर में पांच हजार वालंटियरों के जत्थे ने जलियांवाला बाग से डाक घर तक मार्च किया। इस जत्थे में पांच सौ महिलाएं शामिल थीं। पुलिस लाठीचार्ज में अनेक वालंटियरों के हाथ-पांव टूट गए तथा वे खून से लथपथ हुए। किन्तु संघर्ष करने की उनकी भावना

[पेज 16 पर]

इस अंक में

29 सितंबर की हड़ताल के लिए राष्ट्रीय मंच के आह्वान का शानदार प्रत्युत्तर	2
जनवादी महिला समिति का चतुर्थ राष्ट्रीय सम्मेलन	3
आंगनवाड़ी सम्मेलन को सफल बनाएं कामरेड एम के पंधे	6
अबोध बच्चों के साथ बलात्कार की घटनाएं	7
जलगांव सैक्स कांड	8
जातिभेद से पीड़ित प्रजाथा की करुण कहानी	9
कामकाजी महिलाओं के लिए पृथक उप समिति बनाने की मांग	10
कामकाजी महिलाएं सामाजिक असमानताओं के विरुद्ध संघर्ष करें	11
असंगठित क्षेत्र में महिला श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा	12
जलगांव सैक्स अपराध	13

सीटू के अखिल भारतीय कामकाजी महिला समिति के लिए विमल रणदिवे की ओर से 15, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001, (फोन नं. 3714071) सम्पादित और प्रकाशित प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए-21, झिलमिल इंडस्ट्रिएल एरिया, शाहदरा, दिल्ली-95 से मुद्रित।

जनवादी महिला समिति का चतुर्थ राष्ट्रीय सम्मेलन

☐ इंदु अग्निहोत्री

"उस समय मैं युवा थी। मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक था। मैं समझती थी कि वहां कोई ऐसा चरित्र आएगा जो महिलाओं के कष्टों को दूर कर देगा। आज मैं तथा मेरी जैसी अन्य महिलाएं अनुभव करती हैं कि सच्चे नायक नायिकाएं तो प्रगतिशील महिला आंदोलन से ही उत्पन्न होती हैं। इन आंदोलनों में ही ऐसी महिलाएं तथा पुरुष होते हैं जो पीड़ितों में नव जीवन का संचार करते हैं, मेरे जैसी असंख्य महिलाओं में अदम्य शक्ति का संचार करते हैं जिस के फलस्वरूप वे संघर्ष के पथ पर आगे बढ़ती हैं।"

उपरोक्त विचार मेरे नहीं [मेरे अपने विचार भी ऐसे ही हैं] अपितु उस महिला के हैं जिसके साथ 1992 में चिदाम्बर जिले के एक पुलिस स्टेशन में सामूहिक बलात्कार किया गया था। दरिंदों से उसकी रक्षा करते समय उसका पति मारा गया। उस महिला का नाम है पद्मनी।

उषा धीमान पर सहारनपुर जिले में गुण्डों ने पाशविक हमला किया। उसे अदालत में ही नग्न कर दिया गया तथा उसी स्थिति में उसको शहर में घुमाया गया। पुलिस की गुण्डों के साथ मिलीभगत थी। उसने भी संघर्ष करने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया है।

अमीना एक सुकुमार बालिका। उसने एक 60 वर्षीय शेख के साथ अपने 'विवाह' का तीव्र प्रतिकार किया था। वह शेख उसे सउदी अरब ले जाना चाहता था। अमीना को आशा है कि जनवादी महिला आंदोलन उसे आगे पढ़ने तथा कुछ न कुछ करने या बनने में भी सहायता देगा।

इन महिलाओं ने अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के चतुर्थ राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भाषण दिये। महिलाएं केवल पीड़ित, अबला या असहाय नहीं हैं वे अपितु वे समानता एवं न्याय के लिए संघर्ष करने वाली योद्धा हैं। यह एक सत्य है। सम्मेलन में भाग लेने के लिये पहुंची उपरोक्त महिलाएं इसी सत्य को प्रतिबिम्बित कर रही थीं। इसी लिये उन्हें सम्मेलन में भाग लेने का निमंत्रण दिया गया था। उनके शब्द तथा अनुभव 'पीड़ित ग्रंथी' को समाप्त करने के जनवादी महिला समिति के उद्देश्य को शक्ति प्रदान करते हैं। यह वही भावना है जिसका प्रस्फुटन कोयंबटूर [तमिलनाडु] में 11 से 15 अगस्त तक आयोजित जनवादी महिला समिति के चतुर्थ राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में हुआ। पापा उमानाथ के शब्दों में यही भावना जनवादी महिला समिति द्वारा समय-समय पर किये गए हस्तक्षेप के प्रत्यक्ष प्रभाव को महत्व प्रदान करती है।

16 राज्यों ने भाग लिया

सम्मेलन में 800 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। वे 16 से अधिक राज्यों की 37 लाख सदस्याओं का प्रतिनिधित्व कर रहीं थीं। इन में मजदूर वर्ग, किसानों, लेखकों, कलाकारों, मीडिया से सम्बन्धित, मध्य वर्गीय तथा व्यावसायिक अर्थात् सभी वर्गों की महिलाएं शामिल थीं।

अपने स्वागत भाषण में तमिल की सुप्रसिद्ध लेखिका तथा स्वागत समिति की अध्यक्षा राजम कृष्णन ने कहा कि इस आंदोलन की जड़ें स्वतंत्रता आंदोलन, पिछड़े वर्गों के संघर्षों तथा गैर-ब्राह्मण समाज सुधार आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। वर्तमान में समाज के सांस्कृतिक अधोपतन की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रानिक तथा प्रिंट मीडिया के द्वारा सेक्स सिम्बल के रूप में महिलाओं को चित्रित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शक्ति के प्रतीक चिन्ह तथा प्रोत्साहन का अस्तित्व हमारी अपनी संस्कृति में ही है। उन्होंने कोनी अम्मान जो कोयंबटूर में गरीबों की देवी के रूप में विख्यात है, के इन शब्दों को उद्धृत किया, "इस क्षेत्र की महिलाओं में अपने साथ होने वाले किसी भी अन्याय के विरुद्ध खड़े होने और संघर्ष करने का साहस तथा भावना विद्यमान है।"

तमिलनाडु अल्प संख्यक आयोग की अध्यक्षा तथा राज्य महिला आयोग की सदस्य बदर सय्यद ने भाषण करते हुए कहा कि समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि मुसलिम सम्प्रदाय समानता के सम्बन्ध में कुरान की भावना तथा वास्तविकता के मध्य पाए जाने वाले अंतर को समझे। उन्होंने अनुरोध किया कि सम्प्रदाय अपने भीतर सुधार लाए, निजी कानूनों को सुव्यवस्थित करे ताकि मुसलमान महिलाओं के लिए न्याय को सुनिश्चित बनाया जा सके।

कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रो वाइस चांसलर तथा पश्चिम बंगाल राज्य महिला आयोग की सदस्या भारती राय ने महिलाओं में नयी आत्म पहचान बनाने के लिए राजनीतिक महिलाओं के कार्यों तथा लेखनी के योगदान का स्मरण कराया।

कामरेड सुशीला गोपालन संसद सदस्य ने अध्यक्षीय भाषण देते हुए कहा कि नयी आर्थिक नीतियों का कुपरिणाम भारी मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी तथा असुरक्षा, के रूप में निकला है। लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ा है और महिलाओं के कष्टों में भारी वृद्धि हुई है। उन्होंने महिलाओं से आह्वान किया कि वे साम्प्रदायिक एवं जातिवादी शक्तियों की चुनौती का सामना करें तथा उनकी महिला विरोधी एवं पुरुष प्रधान उच्च जातीय धारणाओं के विरुद्ध संघर्ष करें। उन्होंने विशाल स्तर पर समाज सुधार आंदोलन चलाने, महिलाओं के अन्य संगठनों तथा धर्म निर्पेक्ष एवं लोकतांत्रिक शक्तियों के साथ एकता स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

महासचिव की रिपोर्ट

जनवादी महिला समिति की महासचिव कामरेड बृंदा कारात ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बल देकर कहा कि समानता के लिए भारतीय महिलाओं का आंदोलन मूल रूप से राजनीतिक आंदोलन है क्योंकि उसने यथास्थिति को चुनौती दी थी, उसने पुरानी स्थापनाओं को चुनौती दी थी। उसका उद्देश्य एक ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था का सृजन करना था जहां सामाजिक जीवन के प्रत्येक पक्ष में महिलाओं के अतुलनीय योगदान को मान्यता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जनवादी महिला समिति जिसकी भारी सदस्य संख्या है, पर इस आंदोलन को आगे ले जाने का विशेष उत्तरदायित्व है। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक ग्रामीण क्षेत्रों की गरीब महिलाओं की समस्याओं जो देश में महिलाओं की बहुसंख्या हैं, उनकी आवश्यकताओं तथा मांगों को राष्ट्रव्यापी महिला आंदोलन की केन्द्रीय धुरी बनाना है। रिपोर्ट में सरकार की आर्थिक नीतियों पर तीव्र प्रहार किया गया जिनका महिलाओं पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। रिपोर्ट में साम्प्रदायिक संगठनों विशेष रूप से संघ तथा भाजपा जैसे हिन्दु साम्प्रदायिक संगठनों की महिलाओं के मध्य गतिविधियों का विश्लेपण करते हुए उनके प्रतिगामी स्वरूप की कटु आलोचना की गई। महिला आंदोलन के समक्ष नयी आर्थिक नीतियों, साम्प्रदायिक कार्रवाईयों, दलित एवं पिछड़े वर्गों की महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों जैसी समस्याओं के साथ-साथ दहेज, बाल विवाह, मादा शिशु हत्या, बलात्कार, नशाखोरी, पक्षपात तथा जीवन के सभी क्षेत्रों में नैतिक मूल्यों के ह्रास का उल्लेख किया गया।

प्रतिनिधियों के भाषण

सम्मेलन के दूसरे दिन अनेक प्रतिनिधियों ने भाषण दिये। भाषण देने वालों में संसद की सदस्याएं, पंचायतों एवं स्थानीय निकायों की निर्वाचित सदस्याएं तथा पंचायतों की प्रमुख भी शामिल थीं। पश्चिम बंगाल की प्रतिनिधियों ने जहां अपने बहुआयामी अनुभवों के संस्मरण सुनाए वहीं अपने राज्य संगठन जिसने ५० वर्ष पूरे कर लिये हैं, के अनुभव सुना कर अन्य राज्यों की प्रतिनिधियों के ज्ञान में वृद्धि की। प्रतिनिधियों ने विशेष रूप से राज्यों में पिछले चार वर्ष की अपनी गतिविधियों के अनुभव सुनाए। उन्होंने बताया कि उनके संगठन ने लगभग सभी बड़े मुद्दों पर जिनका महिलाओं को सामना करना पड़ रहा है, हस्तक्षेप किया। इस प्रकार उन्होंने संगठन की अखिल भारतीय छवि जनता के समक्ष प्रस्तुत की है। बिहार में जनवादी महिला समति ने छंटनियों तथा महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया। उसने कोयला खदानों में कामकाजी महिलाओं के लिये शिशु पलना घरों की व्यवस्था करने का मामला भी उठाया है। आंध्र प्रदेश से आई एक प्रतिनिधि ने नालगोंडा जिले से शुरू हुए अरक विरोधी आंदोलन तथा दलित महिलाओं पर अत्याचारों के विरोध में किये गए संघर्षों के अनुभव सुनाए। दिल्ली की प्रतिनिधियों ने घरों में काम करने वाली महिलाओं की समस्याओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उदारीकरण की नयी नीतियों के अन्तर्गत इन महिलाओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। खाद्य सामग्री पर सब्सिडी में कटौती तथा जन वितरण प्रणाली को भंग करने के परिणामस्वरूप चावल, गेहूं, चीनी, मिट्टी का तेल तथा ईंधन गैस जैसी आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है। जहां पुरुषों में बेरोजगारी बढ़ रही है वहीं घर के बजट को चलाने में महिलाओं की कठिनाईयों में भी अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। उन्हें घर का खर्च चलाने के लिए असंगठित क्षेत्र में अत्यंत अल्प वेतन पर काम करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र की प्रतिनिधियों ने शरद पवार सरकार द्वारा महिलाओं के लिये घोषित नयी नीति पर तीव्र प्रहार किये। इस नीति के द्वारा स्व-रोजगार पर बल देकर महिलाओं के विरुद्ध नयी आर्थिक नीति के हमलों को ही मजबूती प्रदान की गई है।

प्रतिनिधियों ने उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सम्बन्धी नयी नीति को लागू किये जाने की कटु आलोचना की। इस नीति के अन्तर्गत

6 करोड़ की अमरीकी सहायता वाली एक परियोजना के अन्तर्गत महिलाओं को विशेष रूप से निशाना बनाया जा रहा है। परिवार नियोजन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कोटे की अत्याधिक घृणित व्यवस्था पुनः लागू की जा रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रति मास परिवार नियोजन के दो केस तथा बचत योजना के तीन केस लाने का अपना कोटा पूरा करें तभी उन्हें पूरा वेतन मिल सकेगा। जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम जिसमें अन्तः क्षेप और गर्भनिरोधकों का प्रयोग करना भी शामिल है, के लिये किसी की राय नहीं मांगी जा रही और न ही उन महिलाओं पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों पर विचार किया जा रहा है।

जनवादी महिला समिति की सदस्याओं ने पिछले चार वर्षों में देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक तथा कठमुल्लावादी शक्तियों का सामना किया है। उन्होंने सूरत में दंगा पीड़ित महिलाओं के लिये राहत कार्य किया है, बम्बई तथा उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भावना के लिये प्रभावी जन अभियान चलाया है तथा दंगे रोकने के लिये समय पर प्रभावी हस्तक्षेप भी किया है। केरल में आदिवासी तथा अल्प संख्यक समुदाय की महिलाओं के मध्य हमारा काम बढ़ा है।

राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार जैसे उत्तरी राज्यों की प्रतिनिधियों ने भारी सामाजिक पिछड़ेपन तथा महिला विरोधी रुख के चलते महिलाओं को संगठित करने के मार्ग में आने वाली कठिनाईयों एवं बाधाओं की ओर बार-बार ध्यान दिलाया। इन सभी राज्यों में बलात्कार, बाल विवाह तथा दहेज जैसी बुराईयों के विरुद्ध संघर्ष किये गए हैं। प्रायः इसके कारण अपराधियों को बचाने वाले लोगों जिनमें कांग्रेस-भाजपा के कार्यकर्ता, पुलिस तथा स्थानीय मीडिया के कुछ वर्ग शामिल हैं, की ओर से जनवादी महिला समिति की कार्यकर्ताओं पर हमले किये जाते हैं।

सम्मेलन का समापन नयी 67 सदस्यीय कार्यसमिति के चुनाव के साथ हुआ। निम्नलिखित साथी पदाधिकारी चुनी गईं।

सुशीला गोपालन प्रधान तथा बृंदा कारात महासचिव, लक्ष्मी सहगल, अहल्या रांगनेकर, कनक मुखर्जी, विमल रणदिवे, एम उद्यम, पापा उमानाथ, सरोजिनी बालानंदन, स्वराज्य, टी देवी रागिना खातून, तथा मंगलेश्वरी देब बर्मन सभी उप प्रधान जबकि श्यामली गुप्ता, मैथिली शिव रामन, नाजिमुनिसा, सुभाषिनी अली, इंद्राणी मजूमदार तथा बोनाई बिस्वास सभी सचिव और विभा गोस्वामी कोषाध्यक्ष चुनी गईं।

क्रेडेंशियल समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि 773 प्रतिनिधियों में से 507 प्रतिनिधि 45 वर्ष से कम आयु की थीं। 208 प्रतिनिधि मजदूर वर्ग तथा खेत मजदूर परिवारों के साथ सम्बन्ध रखती थीं। 59 प्रतिनिधि किसान परिवारों से सम्बन्धित थीं। आंध्र प्रदेश की स्वराज्यम को सात वर्षों तक भूमिगत रहकर राजनीतिक गतिविधियां चलाने का अनुभव है जबकि अहल्या रांगनेकर ने अपनी आयु के 10 वर्ष जेल में व्यतीत किये हैं।

विभिन्न विषयों पर आयोग

इससे पूर्व सात विभिन्न आयोजनों में विचारार्थ रिपोर्टें प्रस्तुत की गईं। ये आयोग हैं: महिलाएं तथा हिंसा, नयी आर्थिक नीति, राजनीतिक भागीदारी, गांवों की स्थिति, पूंजीवाद, समाजवाद तथा महिलाएं, विचारधारा इत्यादि।

अलग-अलग आयोग बनाने और उनमें विभिन्न विषयों पर विचार करने का विचार फलप्रद रहा। प्रत्येक आयोग में लगभग 75-100 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन आयोगों में प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव सुनाए तथा विभिन्न समस्याओं पर अपनी चिंता व्यक्त की। रिपोर्टों पर बहस होने से जहां वे और ठोस हुईं वहां प्रतिनिधियों के अलग-अलग प्रत्युत्तर भी मिले।

सम्मेलन में पारित प्रस्तावों में तस्लीमा नासरीन, दलित तथा आदिवासी महिलाओं पर हमलों की निंदा, असम की वर्तमान स्थिति, अगस्त सितंबर मास में नागरिक अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं को भाग लेने के आह्वान, न्यायपालिका की पुरुष समर्थक धाराओं पर चिंता व्यक्त करने तथा जलगांव सेक्स कांड से सम्बन्धित प्रस्ताव शामिल हैं।

लगभग 800 प्रतिनिधियों को तीन बड़े हाल कमरों में रखा गया। इस अवसर पर सड़क के किनारे प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया। इस प्रदर्शनी में पिछले एक दशक के संघर्षों में महिलाओं द्वारा निभाई गई विविध भूमिकाओं की झलकियां दिखाई गई थीं। इसमें जनवादी महिला समिति की कार्यकर्ताओं द्वारा स्थानीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर किये गए संघर्षों को भी दर्शाया गया था। आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्यों के प्रतिनिधि अपने पोस्टर लेकर आए थे। तमिलनाडु की महिलाओं ने भी अपने पोस्टर लगाए। इस सम्मेलन ने भरपूर सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का अवसर भी प्रदान किया। सम्मेलन कक्ष में विभिन्न प्रतिनिधियों की ओर से अनेक गीतों का गायन किया गया। स्वागत समिति की ओर से भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अधिकांश आवासीय कक्षों में जहां उत्तर भारतीय राज्यों की प्रतिनिधि महिलाएं ठहरी थीं गीत गाए जाते रहे और नृत्य किये गए। देर रात्रि तक सभी प्रतिनिधि

[पेज छः पर]

आंगनवाड़ी सम्मेलन को सफल बनाएं: कामरेड पंधे की अपील

सी आइ टी यू के महासचिव कामरेड एम के पंधे ने एक वक्तव्य में कहा है कि अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका फेडरेशन का द्वितीय सम्मेलन 27-29 अक्टूबर को कलकत्ता में होगा। इस सम्मेलन में लगभग 300 प्रतिनिधियों के भाग लेने की सम्भावना है। इस सम्बन्ध में फेडरेशन की ओर से सभी राज्य समितियों तथा उनके सदस्यों के नाम परिपत्र जारी कर दिया गया है। 29 अक्टूबर को जनसभा का आयोजन किया जाएगा। इसे अन्य नेताओं के अतिरिक्त सी आइ टी यू के उपाध्यक्ष तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कामरेड ज्योति बसु भी सम्बोधित करेंगे। सम्मेलन को सफल बनाने के लिये स्वागत समिति प्रत्येक सम्भव कदम उठा रही है।

उन्होंने कहा कि फेडरेशन का द्वितीय सम्मेलन एक ऐसा महत्वपूर्ण अवसर होगा जब हम संगठन को गतिशील बना सकेंगे तथा अपने आंदोलन का प्रसार कर सकेंगे।

अत: सभी राज्य समितियों से अनुरोध किया जाता है कि वे सम्मेलन के लिये भारी संख्या में प्रतिनिधियों को भेजें और इसे सुनिश्चित बनाएं ताकि अखिल भारतीय संगठन को सुदृढ़ करने के लिये रचनात्मक कदम उठाए जा सकें।

कामरेड पंधे ने इस बात पर दुख व्यक्त किया है कि कुछ राज्यों में हमने आंगवाड़ी कार्यकर्ताओं का संगठन बनाने के लिये समुचित कदम नहीं उठाए हैं। इन राज्य समितियों को इसके लिये तुरंत कदम उठाने चाहिएं। इसी मध्य इस काम के लिये कुछ महिला साथियों को लगाया जा सकता है जो आगे चल कर राज्य में आंगनवाड़ी आंदोलन का नेतृत्व करेंगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में जबकि सरकार नयी आर्थिक नीतियों के अन्तर्गत आंगनवाड़ी परियोजनाओं का निजीकरण करने जा रही है उनके सशक्त संगठन की आवश्यकता और भी बढ़ गई है।

सी आइ टी यू केन्द्र आशा करता है कि सभी राज्य समितियां इस दिशा में समुचित कार्रवाई करेंगी और इस सम्मेलन को सफल बनाने हेतु प्रत्येक सम्भव कदम उठाएंगी।

जैसा कि आप जानते हैं, सी आइ टी यू केंद्र आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के आंदोलन को विकसित करने की ओर भारी ध्यान दे रहा है। उनकी स्थिति अत्यंत शोचनीय है। भारत सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई ध्यान नहीं दे रही। कुछ राज्य समितियों ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को संगठित करने के प्रयास किये हैं जिनका अच्छा प्रत्युत्तर मिला है। तथापि कुछ अन्य राज्य समितियां इन कर्मचारियों में संगठन बनाने के प्रति उदासीन हैं जिसके कारण अखिल भारतीय आंदोलन बनाने के हमारे प्रयासों को धक्का पहुंचता है।

हम अपनी पहलकदमी पर इन कार्यकर्ताओं का संयुक्त आंदोलन विकसित कर सकें हैं। हमें उसका अच्छा प्रत्युत्तर मिला है। इस आंदोलन को और सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है। यदि हम इस ओर समुचित ध्यान दें तो इसकी भारी सम्भावनाएं हैं। □

[पेज पांच से]

महिलाएं एक दूसरे को अपने-अपने अनुभव सुनातीं और प्रत्येक विषय पर बहस करतीं। स्वागत समिति की ओर से सम्मेलन के लिये शानदार प्रबंध किये गए थे। दूसरे राज्यों की प्रतिनिधि महिलाएं वहां से अच्छा प्रभाव, समर्पण की भावना एवं काम करने के लिए उत्साह की भावना को लेकर वापस लौटीं। तमिलनाडु की साथियों ने अतिथि प्रतिनिधियों के साथ सद्भावना तथा गर्मजोशी पूर्ण व्यवहार किया। विशेषरूप से वालंटीयर महिलाओं का व्यवहार तो अनुकरणीय रहा।

समापन दिवस पर विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। उसे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कामरेड ज्योति बसु, कामरेड सुशीला गोपालन, पापा उमानाथ, तथा बृंदा कारात ने सम्बोधित किया। सभी वक्ताओं ने बताया कि नयी आर्थिक नीतियां लागू होने से भारतीय जनता विशेष रूप से महिलाओं के कष्टों में कितनी वृद्धि हुई है। उन्होंने महिलाओं से आह्वान किया कि वे आगे बढ़ कर कांग्रेस-इ सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों का प्रतिकार करें तथा भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें। □

अबोध बच्चों के साथ बलात्कार की घटनाएं

सुमन लता वासिष्ठ

उत्तरी दिल्ली के सराय रोहेल्ला क्षेत्र में एक 12 मास के बच्चे के साथ बलात्कार करने की लोमहर्षक घटना प्रकाश में आई है। बलात्कार करने वाला बच्चे के परिवार के पड़ोस में रहता था और उसके माता-पिता से परिचित था। उपरोक्त घटना से इस तथ्य का उद्घाटन होता है कि देश की राजधानी दिल्ली में अबोध बच्चों के साथ बलात्कार की घटनाएं उतरोत्तर बढ़ती ही जा रही हैं।

पुलिस द्वारा जारी किये गए आंकड़ों के अनुसार बलात्कार का शिकार होने वाले लोगों में 7० प्रतिशत अबोध बच्चे होते हैं। अबोध बच्चों के साथ ऐसा जघन्य अपराध करने का यह क्रम 1991 से अब तक जारी है। वर्ष 1993 में तो 235 बच्चों के साथ बलात्कार किया गया जबकि 1991 में इन बच्चों की संख्या 167 ही थी। वर्ष [1994] अगस्त मास तक इसके 158 मामले दर्ज किये गए थे।

पुलिस उपायुक्त [अपराध] श्री मैक्सवल परेरा का कहना है कि बलात्कार की घटनाओं का शिकार होने वालों में अधिक संख्या 12 से 18 वर्षीय लड़कियों की होती है।

पुलिस उपायुक्त का कहना है कि जिन मामलों का सम्बन्ध विशेष रूप से अबोध बालकों के साथ होता है, वे ही सामने आते हैं। इन मामलों में लोग भय के कारण अपना मुंह नहीं खोलते। अविभावक बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित होने के कारण चुप रह जाते हैं। इससे बलात्कारी को अपराध करने के लिए सुअवसर मिलता है और उनका दुसाहस बढ़ जाता है। पुलिस ने एक 32 वर्षीय व्यक्ति राम प्रकाश को गिरफ्तार किया है। वह बलात्कार के अनेक मामलों में वांछित पाया गया। वह स्वयं को एक तांत्रिक बताता था जिसके कारण उसके अपराधों पर पर्दा पड़ जाता था। उसकी काम पियासा का शिकार होने वालों में भारी संख्या पड़ोस में रहने वाली अबोध बालिकाओं की होती थी। उन्हें वह बड़ी आसानी से लालच देकर अपने जला में फंसा लेता था। उसने न केवल 8-1० वर्ष के बच्चों को अपनी काम पिपासा का शिकार बनाया अपितु राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में 2०० से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार किया। एक व्यक्ति सुनील मित्तल के अनुसार बलात्कार की घटना तो कहानी का एक पक्ष ही है। वास्तविक समस्या तो मनोवैज्ञानिक है। शायद यही कारण है कि अधिकाधिक संख्या में लोग मनोवैज्ञानिकों के पास पहुंच रहे हैं। इन अपराधों में बड़े परिवारों के साथ सम्बन्ध रखने वाले युवक शामिल होते हैं। मित्तल का कहना है कि सैक्स अपराधों के लिये मीडिया अर्थात् दूरदर्शन उत्तरदायी है। अच्छे घरों के लड़के अश्लील कार्यक्रमों को देख कर ऐसे अपराध करने की ओर प्रवृत होते हैं। समाज में इसके अवसर न मिलने पर ऐसे युवक अबोध बच्चों को अपनी काम वासना का शिकार बनाते हैं। पुलिस के अनुसार उनके पास ऐसे मामले आते हैं जिनमें, बलात्कारी उनका पड़ोसी, मित्र या 'अंकल' होता है। कई बार तो वे अपने अपराध को छिपाने के लिये उन बच्चों की हत्या तक कर देते हैं।

एक बरिष्ठ अधिकारी ने पूर्वी दिल्ली के एक कालेज की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना का उदाहरण देते हुए बताया कि ऐसे मामले प्राय: दब जाते हैं। लोग पुलिस के पास नहीं आते। इन अपराधों की संख्या का बढ़ते चले जाना चिंताजनक है, इसमें कोई संदेह नहीं।

दिल्ली में बढ़ते सैक्स अपराध: आंकड़े क्या कहते हैं?

	1991	1992	1993	1994
अबोध बच्चों के साथ बलात्कार	167	216	235	158
बलात्कार की अन्य घटनाएं	59	77	86	59
महिलाओं के साथ छेड़छाड़	202	226	259	183
अप्राकृतिक यौन हिंसा	20	28	23	17
महिला उत्पीड़न	2376	2301	2108	1167

बलात्कार तथा कामुक हमलों से पीड़ित लड़कियों और उनके परिवार अच्छी तरह जानते हैं कि उनके चुप रहने से शत्रु को और बल मिलेगा। अत: हम इन अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष किये बिना इस समाज को बदल नहीं सकते। उन सभी लोगों को जो जलगांव से भयभीत हैं किन्तु अभी भी नयी आर्थिक नीतियों से सम्मोहित हैं, हम केवल यही कहना चाहेंगे हम या तो दोनों व्याधियों के विरुद्ध एक साथ संघर्ष कर सकते हैं या कभी भी नहीं कर सकते।

['द वायस आफ पीपल्स अवेकनिंग' के सौजन्य से]

बम्बई में महिलाओं का जोरदार प्रदर्शन

☐ अशोक ढवले

जलगांव, भूसावल, परमणी, सावंतवाड़ी, अहमदनगर तथा महाराष्ट्र के दूसरे केंद्रों के सैक्स कांडों के अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर, 6 सितंबर को बंबई में करीब चार हजार महिलाओं ने मंत्रालय पर प्रभावशाली प्रदर्शन किया। महिलाओं की इस रैली की चार मुख्य मांगें इस प्रकार हैं-इन कांडों में लिप्त अपराधियों को जमानत न दी जाय क्योंकि वे अधिकारियों पर दबाव डलवाकर साक्ष्यों में गड़बड़ी करने की कोशिश कर सकते हैं; इन कांडों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें गठित की जायं, जिनमें हर रोज के आधार पर और बंद अदालत में गवाहियां ली जाय ताकि तेजी से न्याय होना सुनिश्चित किया जा सके; इन अत्याचारों की शिकार हुई महिलाओं के पुनर्वास की जिम्मेदारी सरकार तथा सामाजिक संगठनों द्वारा संभाली जाय और इन कांडों में लिप्त अपराधियों को किसी भी पार्टी द्वारा, किसी भी चुनाव में अपना टिकट न दिया जाय।

इस रैली का आयोजन महिलाओं पर अत्याचारों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई समिति द्वारा किया गया था, जो 35 से ज्यादा महिला ग्रुपों का, मिला-जुला मंच है। संयुक्त कार्रवाई समिति में शामिल मुख्य संगठनों में जनवादी महिला समिति, भारतीय महिला फेडरेशन, स्वाधार, महिला दक्षता समिति, श्रमजीवी महिला सभा, समाजवादी महिला सभा, आल इंडिया वीमेंस कान्फ्रेंस आदि शामिल हैं।

इस रैली की एक उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि इसमें समाज के लगभग सभी तबकों की महिलाएं बढ़-चढ़कर शामिल हुई। रैली में आयी महिलाओं में झुग्गी-झोंपड़ियों तथा कच्ची बस्तियों में रहने वाली महिलाओं से लेकर, प्रोफेसर व शिक्षक, बैंक-बीमा आदि तथा कार्यालयों में काम करने वाली महिलाओं और कालेजों में पढ़ने वाली छात्राओं तक, सभी ने शिरक्त की। इस रैली में सभी धर्मों, समुदायों तथा जातियों की महिलाएं शामिल हुई और इनमें मुस्लिम, ईसाई तथा दलित समुदायों की महिलाओं का हिस्सा काफी बड़ा था। इस व्यापक हिस्सेदारी ने, इस प्रदर्शन को सही अर्थों में समूचे महिला समुदाय का ही प्रतिनिधि बना दिया।

रैली को आखिर में संबोधित करने वाली महिला नेताओं में अहल्या रांगणेकर, मृणाल गोरे, प्रमिला दंडवते, कुसुम नादकर्णी, कमल देसाई, मंगला पारीख, प्रो० क्रांति जेजुरकर, महिला समिति कार्यकर्ता नासरीन अंसारी और जलगांव के महिला संगठनों की प्रतिनिधि वासंती दीघे तथा सावंतवाड़ी के महिला संगठनों की प्रतिनिधि अरुणा गौरी के नाम शामिल हैं। वयोवृद्ध गांधीवादी नेत्री तथा स्वतंत्रता सेनानी, उषा मेहता की उपस्थिति भी इस रैली की मुख्य विशेषताओं में से एक रही।

सभी वक्ताओं ने इस तरह के कांडों को तथा महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों को मौका देने वाली मौजूदा सरकार तथा मौजूदा व्यवस्था की भर्त्सना की, इन अत्याचारों के अपराधियों की तथा उनको शरण व संरक्षण प्रदान करने वालों की निंदा की ऊपरी गिनायी गयी मांगों को रेखांकित किया, इन अत्याचारों की शिकार हुई महिलाओं के साथ सखीपन भरी एकजुटता का इजहार किया और रैली में शामिल सभी महिलाओं का आह्वान किया कि महिलाओं के सामने और पूरे देश के ही सामने खड़े तमाम ज्वलंत प्रश्नों पर, महिलाओं को एक शक्तिशाली आंदोलन खड़ा करने में मदद दें। इस संदर्भ में, विभिन्न वक्ताओं ने महिलाओं पर तकलीफें ढ़ा रही नयी आर्थिक नीतियों की भर्त्सना की और सांप्रदायिक खतरे के खिलाफ भी आग्रह किया।

इस रैली को सफल बनाने के लिए भारी तैयारियां हुई थी। संयुक्त कमेटी द्वारा भी और विभिन्न संगठनों द्वारा अलग-अलग भी, इस सिलसिले में हजारों की तादाद में पर्चे छपवाकर बांटे गये थे। कमेटी में शामिल विभिन्न संगठनों द्वारा झोंपड़-पट्टियों में, मजदूर तथा मध्यवर्गीय बस्तियों में और विभिन्न कार्यालयों में तथा अनेक कालेजों में, इस सिलसिले में सभाएं की गयी थीं। बंबई में जनवादी महिला समिति की नेताओं व कार्यकर्ताओं ने, पश्चिमी तथा पूर्वी उपनगरों में तथा व मध्यपूर्वी बंबई में, इस तरह की सभाओं का एक पखवाड़े लंबा अभियान भी चलाया गया था।

इस रैली की खबर को अखबारों और इलैक्ट्रोनिक माध्यमों, दोनों ने ही पर्याप्त महत्व दिया, क्योंकि इसके जरिए राज्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर जनता का ध्यान खींचा जा रहा था।

जातिभेद से पीड़ित प्रजाथा की करुण कहानी

भले ही भारत सरकार अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देती हो, किन्तु उसके अधिकारी वर्ग की धारणा इसके ठीक विपरीत है। वे इस प्रकार के विवादों को हतोत्साहित करते हैं। यदि उनके अन्तर्गत काम करने वाला कोई कर्मचारी ऐसी धृष्टता कर बैठता है तो उसकी दुर्गत बना दी जाती है।

हैदराबाद की एक महिला डी० प्रजाथा ने भी ऐसा ही अपराध कर डाला था। उसने हरिजन होते हुए भी ब्राह्मण युवक के साथ विवाह करने की धृष्टता की थी। आंध्र प्रदेश सरकार के धार्मिक मामलों सम्बन्धी विभाग के अधिकारी इससे अत्यंत चिढ़ गए। उन्होंने प्रजाथा को सता-सता कर मानसिक रूप से विक्षिप्त अवस्था में पहुंचा दिया है।

वह इस समय श्री वेंकटेश्वर स्वामी मन्दिर, चिकाडपल्ली, हैदराबाद में काम कर रही है। वहां का कार्यकारी अधिकारी बाबुल नाथ उसे कार्यालय में आने की अनुमति नहीं दे रहा। इसके कारण पिछले एक मास से वह अघोषित निलम्बन जैसी स्थिति झेल रही है और घर में बैठने को विवश है।

उसे परेशान करने की कहानी नयी नहीं है। वह पिछले एक दशक से उस कार्यालय में क्लर्क के रूप में काम कर रही है। पिछले चार वर्षों में उसका आठ बार स्थानांतरण किया जा चुका है। यद्यपि इसके लिये भी सरकारी नियम बने हुए हैं। किन्तु अधिकारियों द्वारा उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उसे प्रसूति लाभ अवकाश भी नहीं दिया गया। पिछले दिनों पत्रकारों से बातचीत करते समय प्रजाथा ने अपनी भर्राए स्वर में कहा: ''मेरे साथ यह व्यवहार जानबूझ कर किया जा रहा है क्योंकि मैं समाज के एक वर्ग विशेष के साथ सम्बन्ध रखती हूं। दूसरे वर्ग के लोग अनुभव करते हैं कि मुझे मन्दिर में काम नहीं करना चाहिए।''

विभागीय आयुक्त श्री विनायक भी अधिकारियों के इस रुख के दृष्टिगत स्वयं को असहाय अनुभव कर रहे हैं। वह चाह कर भी प्रजाथा की सहायता नहीं कर पा रहे। वास्तव में प्रजाथा की समस्याओं का आरम्भ तब हुआ जब उसे ई सी एम ट्रस्ट से एस वी एस मन्दिर में अंतरित किया गया था। उसका अंतरण इस वर्ष जुलाई मास से हुआ किन्तु केवल एक दिन के लिये। मन्दिर के कार्यकारी अधिकारी बाबुल नाथ ने काम पर उपस्थित होने सम्बन्धी उसकी रिपोर्ट स्वीकार नहीं की। प्रजाथा का कहना है कि वहां स्टाफ के सभी सदस्यों ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जिसके कारण वह स्वयं को अकेली अनुभव करने लगी। उसने यह मामला श्री विनायक के पास उठाने का प्रयास किया। कार्यकारी अधिकारी की ओर से बताया गया कि उसे पुनः ई सी एम ट्रस्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है किन्तु उसने अंतरण पत्र देने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। मजे की बात तो यह है कि स्थानांतरण का आदेश विभागीय आयुक्त के हस्ताक्षर कराए बिना ही जारी किया गया।

डी. प्रजाथा

स्मरण रहे तुलजा भवन जहां उसने नवंबर 1991 से जून 1992 तक काम किया है, में काम करते समय उसे ''अनधिकृत रूप से अनुपस्थित'' रहने के कारण 15 दिनों के लिए निलम्बित कर दिया गया जबकि उसने इसके लिये विधिवत आवेदन दिया था और उसकी 200 छुट्टियां शेष थीं। उसके पति एस वी कृष्ण मोहन जो एक पत्रकार है का कहना है कि वह समय हमारे लिए बहुत ही खराब था। कार्यालय में 5 बजे छुट्टी हो जाती हैं, किन्तु उसका बास उसे सायं 6 बजे भी घर जाने की अनुमति नहीं देता था। वे अपने बच्चे को शिशु पलना गृह में भेजते थे जो पांच बजे बंद हो जाता है। विवश होकर उन्हें (कृष्ण मोहन) घर का सारा काम तथा बच्चे की देखभाल करनी पड़ती।

ज्ञातव्य है कि प्रजाथा के पिता कादिराघा स्वतंत्रता सेनानी हैं तथा विधायक रह चुके हैं।

विभागीय आयुक्त ने उसे मामले को सुलझाने हेतु थोड़ा समय देने का अनुरोध किया है, किन्तु प्रजाथा को अब विभाग से कोई न्याय मिलने की आशा नहीं रही। दोनों पति पत्नी ने अब यह मामला राष्ट्रीय महिला आयोग में ले जाने का निर्णय किया है। □

कामकाजी महिलाओं के लिए पृथक उप समिति बनाने की मांग

इस्पात उद्योग में कार्यरत ठेका मजदूरों का तृतीय अखिल भारतीय सम्मेलन 17-18 जुलाई, 1994 को बोकारो में हुआ। इस दो दिवसीय सम्मेलन में 206 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वे इस्पात, खदान, रेलवे तथा स्टाक यार्ड में सक्रिय ठेका मजदूरों की 26 यूनियनों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इन 206 प्रतिनिधियों में 20 महिलाएं भी शामिल थीं जिनमें से अधिकांश ने सम्मेलन में भाषण दिया।

इन सभी श्रमिकों की महत्वपूर्ण समस्या मालिकों का वह षडयंत्र था जिसके अन्तर्गत स्थायी श्रमिकों की संख्या को कम करके अधिक से अधिक मजदूरों को ठेके पर रखा जाता है। इसका कारण स्पष्ट है। अर्थात् स्थायी मजदूरों के लिये सुनिश्चित सेवा लाभों में कटौती करना। सम्मेलन में कामकाजी महिलाओं तथा इन श्रमिकों की कामकाजी स्थितियों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। अधिकांश ठेका मजदूरों को कठिन परिश्रम वाले, अधिक गंदे तथा जोखिम वाले काम करने पड़ते हैं। ठेका मजदूर उन्मूलन अधिनियम का शायद ही कभी पालन किया जाता होगा। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की भांति जहां कहीं भी सी आइ टी यू का संगठन सुदृढ़ है वहां एस डब्ल्यू एफ आई (स्टील वर्कर्स फेडरेशन आफ इंडिया) ठेका मजदूरों के लिए चिकित्सा, परिवर्तनीय महंगाई भत्ता, उच्च वेतन इत्यादि अनेक लाभ प्राप्त करने में सफल रही है। भिलाई, बोकारो, राउरकेला इत्यादि अन्य इस्पात संयंत्रों में स्थिति बहुत खराब है। सम्मेलन में प्रतिनिधियों ने विचार व्यक्त किया कि ठेका मजदूरों जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, के विस्तृत स्तर पर संघर्ष की आवश्यकता है।

कामकाजी महिलाओं की मांगें

कामकाजी महिलाओं का प्रश्न जोर शोर से उठाया गया। अनेक प्रतिनिधियों ने महिला-ठेका मजदूरों को संगठित करने पर विशेष बल दिया। इन महिलाओं ने अपनी विशेष समस्याओं को उठाते हुए कहा कि उनके साथ पक्षपात किया जाता है। सम्मेलन में भाषण करते समय अधिकांश महिला प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र तथा दुर्गापुर के एलाम इस्पात संयंत्र जहां महिलाओं को पुरुष श्रमिकों के समान सेवा लाभ प्राप्त हैं, उन्हें प्रसूति लाभ दिया जाता है तथा अवकाश भी मिलते हैं के अतिरिक्त अन्य अधिकांश संयंत्रों में कामकाजी महिलाएं अत्याधित शेषित लोगों में शामिल हैं। छंटनी होने की स्थिति में सबसे पहले उन्हीं पर गाज गिराई जाती है।

भारतीय इस्पात मजदूर फेडरेशन की संयुक्त सचिव पार्वती दास जो पिछले 30 वर्षों से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में कार्यरत है, ने सम्मेलन में भाषण करते समय बताया कि यद्यपि वे अन्य संयंत्रों की अपेक्षा अच्छी स्थिति में हैं तथापि उन्हें बच्चों के लिये पलना घर, कामकाजी महिलाओं के लिये विश्राम कक्ष तथा अधिक शौचालय बनाने जैसी सुविधाओं के लिए संघर्ष जारी रखना पड़ा है। उधर राउरकेला इस्पात संयंत्र में काम करने वाली पद्मा बहेरा तथा बालों लोहार ने शिकायत की कि यूनियन नेता भी प्रायः उनकी मांगों को दृष्टिलोप कर देते हैं। एलाम इस्पात संयंत्र की कोकिला किस्कू ने कहा कि महिलाओं को इस्पात संयंत्र परिसर में काम से वंचित रखा जाता है क्योंकि वहां मजदूरी अपेक्षाकृत अच्छी मिलती है। दोनों महिला वक्ताओं ने कहा कि यद्यपि संगठन का नेतृत्व महिलाओं को आगे लाने के लिए उत्सुक है, किन्तु उसके लिये इकाई स्तर पर पार्याप्त काम नहीं हो पा रहा। महिलाओं को आगे आने और बोलने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता। उनकी विशेष समस्याओं को दृष्टिलोप किया जाता है। पार्वती दास ने यह सुझाव भी दिया कि ठेके पर काम करने वाली महिलाओं के लिये एक पृथक उप समिति का गठन किया जाए जहां वे खुल कर अपने दिल की बात कह सकें और अपना विकास कर सकें। उन्होंने कहा कि महिलाओं को घर तथा रोजगार का दोहरा बोझ उठाना पड़ता है। नेतृत्व द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा, ''हमें पुरुषों के साथ कंधे से कंधा भिड़ाकर संघर्ष करना होगा। हमें उनके साथ सभी संघर्षों जिनमें हड़ताल भी शामिल है, में भाग लेना होगा।'' उन्होंने पूछा कि हम क्यों नहीं निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल हो सकतीं तथा नेतृत्वकारी पदों पर पहुंच सकतीं?''

इस सम्मेलन का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष यह रहा कि उसमें भाग लेने वाले इस्पात मजदूरों की भारी संख्या ठेका मजदूरों की थी।

[पेज ग्यारह पर]

कामकाजी महिलाएं सामाजिक असमानताओं के विरुद्ध संघर्ष करें

वृंदा करात

अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की महासचिव कामरेड वृंदा करात ने कामकाजी महिलाओं को आह्वान किया है कि वे अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने तथा समाज में अपने लिये समुचित स्थान प्राप्त करने के लिये संघर्ष करें। वह गत 9 अगस्त को कोयंबटूर में भारतीय जीवन बीमा निगम की महिला श्रमिकों की भारी सभा को संबोधित कर रहीं थीं। उन्होंने इस अवधारणा की कटु निंदा की जिसके अनुसार प्रचार किया जाता है कि महिला आंदोलन को पश्चिम से प्रभावित मात्र नारीवादी आंदोलन है। उन्होंने कहा कि जनवादी महिला समिति का संघर्ष सभी महिलाओं के लिये समान अवसरों के साथ-साथ आर्थिक स्वतंत्रता से भी जुड़ा हुआ है ताकि वे पुरुषों की पिछलग्गू बनी रहने की अपेक्षा अपनी सृजनात्मकता का प्रदर्शन कर सकें।

कामरेड वृंदा ने कहा कि धन की दृष्टि से एक गृहणी के अनेक प्रकार के कष्टों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता और उसे वांछित मान्यता भी नहीं दी जाती। कामकाजी महिलाओं को तो दोहरी पाली में काम करना पड़ता है, एक घर में तथा दूसरे दफ्तर में। महिला को एक बोझ के रूप में देखा जाता है जबकि उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के जनजीवन पर किये गए अध्ययन से पता चलता है कि महिलाएं पुरुष की अपेक्षा अधिक काम करती हैं।

अनेक क्षेत्रों में मादा शिशुओं की हत्या कर देना सामान्य बात है। लिंग निर्धारण परीक्षणों के समय प्राय: मादा भ्रूण की गर्भ में हत्या कर दी जाती है। शोषण तथा असमानता पर आधारित समाज में महिलाओं का कार्य स्थलों पर लैंगिक उत्पीड़न किया जाता है। परिवार नियोजन कार्यक्रम में महिलाओं को विशेष रूप से निशाना बनाया जाता है। नसबंदी के प्रति सौ केसों में से 95 केस महिलाओं के होते हैं। जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के नाम पर ऐसे खतरनाक गर्भनिरोधकों, अस्वस्थ्यकर एवं प्रयोग में न लाए जा सकने वाले यंत्रों का अंत: क्षेपण एवं आरोपण किया जाता है जिन्हें विकसित देशों में रहने वाला कोई व्यक्ति प्रयोग में नहीं लाता।

नयी आर्थिक नीति के कारण संगठित क्षेत्र में रोजगार क्षति तथा आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में बेलगाम वृद्धि के रूप में कामकाजी महिलाओं के कष्टों तथा कठिनाइयों में और वृद्धि होगी। कामरेड करात ने कहा कि गरीब जनता के साथ 69 प्रतिशत आरक्षण का छल किया जा रहा है जबकि इसके विपरीत सार्वजनिक क्षेत्र को ही भंग किया जा रहा है। यह जनता के साथ क्रूर मजाक है।

महिलाओं को अपने-अपने धर्मों की गलत प्रवृत्तियां के विरुद्ध संघर्ष करना चाहिये। निहित स्वार्थों तत्व अपने राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिये इन प्रवृत्तियों से लाभ उठा कर साम्प्रदायिक आधार पर जनता में फूट डालते हैं।

बीमा निगम कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष श्री आर कृष्णामचारी ने सभा की अध्यक्षता की तथा उपस्थित जनों का स्वागत किया। यूनियन की महिला उप समिति की संयोजक कुमारी एस शारदामणि ने धन्यवाद दिया।

[पेज दस से]

उनमें से अधिकांश अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य शोषित वर्गों के साथ सम्बन्ध रखते हैं। नेतृत्व द्वारा उन वर्गों की ओर विशेष ध्यान देने का आश्वासन दिया गया। एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष इस्पात उद्योग के स्थायी कर्मचारियों तथा अस्थाई ठेका मजदूरों के मध्य सहयोग का था। सम्मेलन में इस बात पर भी बल दिया गया कि उन्हें एकजुट रहना तथा संघर्ष करना चाहिए। सम्मेलन के अंत में एक 20 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन किया गया। भविष्य के लिये संघर्ष का कार्यक्रम बनाया गया। महिला प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में विश्वास दिलाया कि वे भविष्य में किये जाने वाले संघर्षों का पूर्ण समर्थन करेंगी।

सम्मेलन का उद्घाटन सी आइ टी यू के महासचिव कामरेड एम के पंधे ने किया जबकि कामरेड जीवन राय संसद सदस्य ने उसकी अध्यक्षता की। अन्य नेताओं के अतिरिक्त भारतीय इस्पात श्रमिक फेडरेशन (एस डब्ल्यू एफ आइ) के सचिव कामरेड शंकर घोष ने भी सम्मेलन में भाषण किया।

[कामरेड मानिनी चैटर्जी की रिपोर्ट के मुख्य अंश]

असंगठित क्षेत्र में महिला श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा

☐ प्रमिला पंधे

राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से असंगठित क्षेत्र में महिला श्रमिकों की सुरक्षा के विषय पर 9 सितंबर को एक सभा का आयोजन किया गया। आइ एल ओ की निदेशक मिस जोसफाइन कारावासली ने अपना प्रारम्भिक भाषण देते समय असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की कठिनाईयों, कष्टों एवं दयनीय स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने अपनी बात पर बल देते हुए कहा कि इन महिलाओं को भी औद्योगिक विवाद अधिनियम का सुरक्षा-छाता उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि आइ एल ओ का एक शिष्टमण्डल ऐसे क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने के लिए भारत की यात्रा कर रहा है।

श्रम मंत्रालय की ओर से श्री सुबरामण्यम ने असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिकों के लिए स्थापित किये गए सामाजिक सुरक्षा कोष तथा उसमें मंत्रालय के योगदान से सम्बन्धित जानकारी दी।

आयोग की सदस्या श्रीमती प्रेमा सेठ ने सभा तथा इस मामले पर एकजुट होकर विचार करने के महत्व पर प्रकाश डाला।

सी आइ टी यू की ओर से सभा में भाषण देते समय मैंने (प्रमिला पंधे) आंगनवाड़ी में कार्यरत महिला श्रमिकों की समस्याओं एवं स्थितियों पर प्रकाश डाला। आंगनवाड़ी असंगठित क्षेत्र में विद्यमान महिलाओं के बड़े क्षेत्रों में से एक है और यह मानव संसाधन मंत्रालय के अन्तर्गत है। इन महिलाओं को सामाजिक कार्यकर्ता कहा जाता है। उनके साथ सामाजिक कार्यों के नाम पर दुर्व्यवहार किया जाता है। उन्हें तरह-तरह से परेशान किया जाता है। उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उनकी क्षमता से अधिक काम करने पर विवश किया जाता है।

मैंने श्रम मंत्रालय के अधिकारी, राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा अराजपत्रित अधिकारी संगठनों के सदस्यों से जानना चाहा कि मंत्रालय की ओर से बनाई गई यह तथाकथित योजना इन भोली-भाली महिला श्रमिकों जिन्हें नौकरशाहों द्वारा परेशान किया जाता है, को कैसी सुरक्षा उपलब्ध कराती है। यहां हम असंगठित क्षेत्र में महिला श्रमिकों की सुरक्षा की बातें कर रहे हैं किन्तु संगठित क्षेत्र के निजी क्षेत्र में भी प्रबंधन की ओर से महिला श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनके साथ हाथापाई तक की जाती है और तरह-तरह से उन्हें परेशान किया जाता है। सरकार द्वारा उन्हें कैसी सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है।

सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन करने के बारे में विचार कर रही है ताकि प्रबंधन के हमलों से अपनी रक्षा करने के श्रमिकों के अधिकारों को समाप्त किया जा सके। सरकार श्रमिकों का दमन करने वाले प्रबंधनों के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। असंगठित क्षेत्र विशेष रूप से आंगनवाड़ी में कार्यरत महिला श्रमिक अपने प्रति अन्यायों के विरोध में पहले से ही संघर्षरत हैं। दुर्भाग्यवश सत्ता में विराजमान लोगों में उन मालिकों के विरुद्ध कार्रवाई करने की इच्छा का अभाव है जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं।

मैं इस ओर से भी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी कि श्रम मंत्रालय ने कुछ समय पूर्व दूसरे बच्चे के जन्म के पश्चात् महिला श्रमिकों को प्रसूति लाभ न देने के लिये प्रसूति लाभ अधिनियम में संशोधन करने की योजना बनाई थी। यदि सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारी चाहें तो वह पदोन्नति प्राप्त नहीं कर सकती और अपने रोजगार से भी हाथ धो सकती है। विस्मय है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस योजना को अपनी स्वीकृति दे दी थी। सी आइ टी यू तथा जनवादी महिला समिति ने इसका विरोध किया था और उनके विरोध पत्र राष्ट्रीय महिला आयोग को भी भेजे गए थे। तथापि अभी तक आयोग की अध्यक्षा श्रीमती जयंती पटनायक तथा श्रीमती प्रेमा सेठ की ओर से कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया।

एटक की ओर से कामरेड अमरजीत कौर तथा निर्माण श्रम संगठन के कामरेड भटनागर ने भी असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिला श्रमिकों की कष्टपूर्ण कामकाजी स्थितियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने जानना चाहा कि जहां महिला श्रमिक अपना योगदान देने की स्थिति में ही नहीं हैं वहां सामाजिक सुरक्षा कोष तथा उनके लिये सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की योजनाओं को किस प्रकार कार्यरूप दिया जाएगा।

आयोजकों की ओर से कोई ठोस सुझाव दिये बिना ही बैठक का समापन हो गया।

☐

जलगांव के सेक्स अपराध

☐ स्वाति भक्तल

33 करोड़ देवी देवताओं की धरती भारत में आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर का अपना एक विशिष्ट स्थान है। श्रद्धालु भक्तजन वहां बार-बार दर्शनार्थ जाते हैं। उन लाखों श्रद्धालुओं के लिये तिरुपति सभी शक्तियों से परिपूर्ण देवी है; एक ऐसी देवी जो उनके स्वप्न साकार करती है, जो दुर्बल जनों की रक्षा करती है, जो आस्थावान श्रद्धालुओं की आंखों के आंसुओं को पोंछती है। किन्तु महाराष्ट्र में जलगांव की असंख्य युवा एवं भोली भाली लड़कियों के लिए तिरुपति एक अन्तहीन भयावहता का सूचक बन चुका है। एक ऐसा नाम जिसने उनके जीवन में विष घोल दिया है तथा उनके परिवारों को रौंद करके रख दिया है। जुलाई के आरम्भ में राज्य भर के समाचार पत्रों ने जलगांव शहर में व्यापक स्तर पर होने वाले लैंगिक शोषण के समाचार प्रकाशित किये थे। एक सुनियोजित अभियान के अन्तर्गत शहर में 12 से 22 वर्ष की आयु समूह की सैंकड़ों लड़कियों के साथ बलात्कार किया जाता। इसके पश्चात् उनका भयादोहन करके उन्हें वेश्यावृति करने पर विवश किया जाता। बलात्कार की वीडियो फिल्में तैयार की जातीं और उनका प्रयोग ब्लू फिल्मों का करोड़ों रुपये का कारोबार करने वाले गिरोहों द्वारा किया जाता। एक बार जो लड़की इन गिरोहों के क्रूर पंजों में फंस जाती उसके सिर पर आजीवन भय, तथा पोल खोल दिये जाने की धमकियों की तलवार लटकने लग जाती। कुछ लड़कियों को इस कुचक्र से बाहर निकलने के लिये एकमात्र मार्ग आत्महत्या करने का ही दिखाई देता। ऐसा घृणित खेल खेलने वाले चतुर लोग अत्यंत शक्तिशाली थे। उन्हें सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के प्रभुओं का आशीर्वाद प्राप्त था। शिव सेना के प्रमुख नेता भी बड़ी चतुराई से उनकी सहायता करते थे। ऐसी जघन्य एवं निर्लज्ज कार्रवाईयों का मुख्यालय था जलगांव का तिरुपति लाज! यद्यपि कांग्रेस के पार्षद तथा उच्च पदाधिकारी सिर से पांव तक इन जघन्य अपराधों में संलिप्त रहे हैं तथापि वे अत्यंत निर्लज्जतापूर्वक मीठी-मीठी बातें करके जनता से अर्थहीन वादे कर रहे हैं: "हम अपराधियों को दण्ड देंगे, हम इस कांड की जांच कराने के लिये विशेष अदालतों का गठन करेंगे" इत्यादि! मुख्यमंत्री ने जनता को न्याय देने का ढोंग रचते हुए इस कांड की जांच करने के लिए एक जांच दल जिसमें दो महिला अधिकारी भी शामिल हैं, वहां भेजा। किन्तु पीड़ित युवतियां तथा उनके माता-पिता इतने भयभीत थे कि वे जांच दल के समक्ष अपने बयान देने तथा खुल कर सामने आने से भी कतराने लगे। क्योंकि सभी 15 गुंडे जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, जमानत पर रिहा हो चुके हैं। जैसाकि एक पीड़ित युवती के माता-पिता ने कहा, "वे (अपराधी) इस क्षेत्र में निर्भय मंडरा रहे हैं। वे हम पर निरंतर दृष्टि रख रहे हैं। जब ये गुंडे हमारे चारों ओर मंडरा रहे हों तो हम अपने बयान कैसे दे सकते हैं?" जलगांव के एक और नागरिक का कहना था, "आप हम से यह आशा कैसे रखते हैं कि हम पुलिस पर भरोसा करें?" पुलिस का कार्यालय तथा चौकी तिरुपति लाज के सामने स्थित है। पुलिस अधिकारी प्रायः लाज में जाते रहते हैं। क्या वे नहीं जानते कि ठीक उनकी नाक के नीचे क्या हो रहा है?"

बुर्जुआ प्रेस ने जलगांव 'सेक्स कांड' के समाचार अनेक सप्ताहों तक प्रतिदिन प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित किये। वहां किस प्रकार अमानवीय ढंग से पीड़ित युवतियों का शोषण किया जाता और वे कैसी मानवीय-सामाजिक ढीलेपन एवं अवमानना का शिकार हो रही हैं, इस सम्बन्ध में प्रेस द्वारा नित्य नये तथ्य प्रकाश में लाए जाते रहे। प्रत्येक बुर्जुआ राजनीतिज्ञ ने धर्म परायण उद्गार व्यक्त करने और इस मामले में दूसरों को पीछे छोड़ देने के लिए इस कहानी का भरपूर प्रयोग किया है जबकि वे लोग इस तथ्य से पूर्णतया परिचित हैं कि स्वयं उनकी पार्टी के लोग जलगांव के वीभत्स में ही नहीं अपितु देश भर में सक्रिय ऐसे शोषक गिरोहों में शामिल हैं। जहां तक बुर्जुआ प्रेस का सम्बन्ध है उसका काम कातरता, आश्चर्य तथा सदमे से भरे चीत्कार की अंतहीन माला जपना रह गया है।

किन्तु हम यह बात पूछना चाहेंगे कि जो कुछ भी जलगांव में हुआ क्या वह वास्तव में ही रोंगटे खड़े कर देने या विश्वास न कर सकने वाली घटना थी? क्या हम नहीं जानते कि "जलगांव" जैसे बलात्कार तथा लैंगिक शोषण समाज में अन्यत्र भी होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति यदि वह शुतुरमुर्ग की भांति वास्तविकता की ओर से अपनी आंखें मूंद कर न रखे तो सहज ही ऐसी घटनाएं देख सकता है। समाचार पत्रों में अभी जलगांव से सम्बन्धित समाचारों की स्याही सूखी भी नहीं थी कि परभनी में दो अबोध बालिकाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, भुसावल में सेक्स कांड हुआ और अहमदनगर में सामूहिक बलात्कार की घटना हुई। ऐसे बलात्कारी गिरोह देश भर में सक्रिय हैं, उन्हें बड़े-बड़े राजनीतिक नेताओं का संरक्षण प्राप्त होता है और उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी ऐसी

घटनाओं में अग्रणी भूमिका निभाते हैं।

और ऐसे में कोई और नहीं अपितु शिव सेना विधायक तथा वेश्यावृति के स्वघोपित तथाकथित विशेषज्ञ श्री प्रमोद नवलकर ने महाराष्ट्र टाइम्स में प्रकाशित अपने एक लेख में लिखा है, ''तिरुपति लाज जैसे अड्डे बम्बई शहर के प्रत्येक क्षेत्र में स्थित हैं और प्रत्येक व्यक्ति को इसकी जानकारी है।''

श्री नवलकर पूर्णतया सही है, इसमें संदेह नहीं। बम्बई की फोर्स रोड, दिल्ली की जी बी रोड तथा कलकत्ता का लालबत्ती क्षेत्र-सर्वविदित सत्य हैं। महिलाओं तथा यहां तक कि बच्चों के साथ नित्य प्रतिदिन व्यापक स्तर पर बलात्कार किया जाता है और उन्हें वेश्यावृति करने पर विवश किया जाता है, इस तथ्य से भी सभी परिचित हैं। क्या हम पूछ सकते हैं कि बुर्जुआ प्रेस इस अमानवीय वेश्यावृति को कितना बड़ा मुद्दा बनाना है जैसा कि उसने जलगांव के सेक्स कांड में किया है? हमें इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिये कष्ट नहीं करना पड़ेगा। श्री नवलकर ने एक बार फिर इसका उत्तर उपलब्ध कराने की अनुकम्पा की है। उनका कहना है, ''इस शहर [बम्बई] के लिये वेश्यावृति अनिवार्य है। किसी भी व्यक्ति को इस बात पर अप्रसन्न की आवश्यकता नहीं है कि यह महानगर मन को लुभाने वाले शहर के रूप में परिवर्तित हो चुका है। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में ऐश्वर्य चाहता है। किन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि आप किसी भी महिला को पकड़ कर उसे बाजार की शोभा बना दें। यदि ऐसा हुआ तो हमारी पीढ़ियां बरबाद हो जाएंगी, हमारे परिवार तबाह हो जाएंगे। ऐसा अनर्थ होने से पूर्व सरकार, कानून लागू करने वाले तंत्र एवं जनता को वेश्यावृति को नियंत्रित करने के लिए लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी।''

श्री नवलकर ने जिस ढंग से यह मामला उठाया है उससे हमारे नेता तथा बुद्धिजीवी 'विचलित' हो गए हैं। जलगांव आज एक मुद्दा बन चुका है। शायद इसलिये क्योंकि वेश्यावृति लक्ष्मणरेखा पार कर गई है। दूसरे शब्दों में यह लाल बत्ती क्षेत्रों से निकल कर 'सम्मानित' मध्य वर्गीय परिवारों में पहुंच गई है। श्री नवलकर द्वारा बनाई गई लक्ष्मण रेखा जो शोपित वर्गों की महिलाओं तथा शोपक वर्ग की महिलाओं तथा मध्य वर्गीय एवं समृद्ध परिवारों की महिलाओं के बीच विभाजन करती हो, को खींचना कहां तक सम्भव हो सकता है? अब जबकि मुक्त बाजार की शक्तियां उन्मुक्त हो चुकी है इस लक्ष्मण रेखा को कैसे खींचा जा सकता है? बाजार की शक्तियां एक ही फूंक में ऐसी लक्ष्मण रेखा को उड़ा कर रख देंगी। जलगांव तथा ऐसी ही दूसरे उदाहरणें दर्शाती है कि अब केवल शोपित वर्ग की महिलाएं या घोर दरिद्रता में रह रहीं हमारी दलित तथा आदिवासी महिलाएं भूख से पीड़ित होकर अपहृत होकर (बुर्जुआ समाज शास्त्री शहरी समाज की आवश्यकता के रूप में इसका प्रस्तुतिकरण करते हैं) वेश्यावृति करने को विवश नहीं होतीं अपितु पढ़ी-लिखी, ऊंची जातियों से सम्बन्ध रखने वाली, समाज में 'सम्मानित' लड़कियां इच्छा या अनिच्छा से वेश्याओं की पंक्ति में शामिल हो रही हैं और वह भी भारी संख्या में। यह क्या हो रहा है? क्योंकि इस गली सड़ी समाज व्यवस्था के कारण उनके लिये ऐसा करना आवश्यक हो गया है।

एक बार फिर श्री नवलकर कहते हैं (और उन्हें इसकी जानकारी होनी भी चाहिए) ''महिलाओं का देश भर में असंख्य व्यवसायों तथा अनेक सौदों में उपयोग किया जाता है। मैं किसी का नाम उद्धृत नहीं करना चाहता किन्तु यह एक वास्तविकता है कि 'ये' लड़कियां वायुयान द्वारा पुणे से दिल्ली जाती हैं और उन्हें पांच तारा होटलों में सप्लाई किया जाता है। यह कोई रहस्य नहीं है। प्रायः एक ही सौदे में लाख दो लाख रुपये का कारोबार होता है क्योंकि कुछ विशेष क्षेत्रों में वेश्यावृति न केवल एक सम्मानित व्यवस्था बन गया है अपितु इन दिनों इसका प्रयोग किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिये प्रभावशाली माध्यम के रूप में किया जाता है।'' संक्षेप में उच्च वर्ग में वेश्यावृति समाज की आर्थिक गतिविधि के साथ अभिन्न रूप में जुड़ी है।

आपके परमिट राज में वेश्यावृति चाहे फोर्ड रोड स्तर की रही हो मनमोहनोमिक, उदारीकरण, वैश्वीकरण तथा बाजार को खोलने की नीति के अन्तर्गत जबकि अर्थ व्यवस्था को 'खोला' जा रहा है तब सभी प्रकार की माध्यमिक सेवाओं को भी खोला जाना आवश्यक हो जाता है। और वह भी विस्तृत स्तर पर। उच्च वर्गीय वेश्यावृति भी ऐसी ही उच्च वर्गीय उपभोक्ता वस्तु बन चुकी है जिसकी भारत में नये-नये अमीर बने लोगों तथा सुपर अमीर लोगों में भारी मांग है। वैश्वीकरण के अन्तर्गत भारत में कारोबार करने के लिए या मनोरंजनार्थ आने वाले विदेशी नागरिकों में भी इसकी भारी मांग है। यह नये अन्तर्राष्ट्रीयकृत मुक्त बाजार की भारी मांग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ज्यों-ज्यों हमारा देश ऋण जाल में अधिक से अधिक फंसता चला जा रहा है, यह मांग भी बढ़ रही है। यदि पुराने मूल्य एवं उत्पाद बने रहते हैं तो नयी आर्थिक नीति का अर्थ ही क्या रह जाता है?

यदि किसी को 'नयी संशोधित' वेश्यावृति तथा नयी आर्थिक नीति के परस्पर सम्पर्क के सम्बन्ध में कोई संदेह है तो उसे एशियाई महिलाओं जो हमसे अधिक दूर नहीं हैं की स्थिति पर दृष्टि डालनी चाहिए। थाईलैंड की राजधानी भारी ऋण भार को विदेशी मुद्रा से चुकता कर रही है। उसके द्वारा यह मुद्रा 'सेक्स पर्यटन' उद्योग में सक्रिय लाखों महिलाओं तथा बच्चों के माध्यम से अर्जित की जाती है। जर्मनी तथा अन्य युरोपीय देशों से पुरुषों के असंख्य यात्री दल बैंकाक की यात्रा करते हैं। उन्हें हर प्रकार के विकृत मनोरंजन की

गारंटी दी जाती है। इसी प्रकार प्रथम विश्व तथा जापान के सेक्स फार्मों में 'निर्यात' हेतु मलेशियाई तथा फिलीपीनो महिलाएं मनचाही वस्तु हैं। बैंकाक स्थित एक संगठन ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसका शीर्षक है-"आधुनिक दासत्व में फंसे लोग।" इस रिपोर्ट में बल देकर बताया गया है कि पर्यटन और बाल वेश्यावृति में परस्पर प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। रिपोर्ट में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक पर आरोप लगाया गया है, "यह देखते हुए कि तृतीय विश्व के आगे ऋण जाल में से निकलने का कोई मार्ग नहीं है, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक एक अत्यंत चतुराईपूर्ण विचार लेकर आगे आए हैं और वह विचार है-पर्यटन को बढ़ावा देना। अमीर देशों से गरीब देशों की ओर धन का प्रवाह मोड़ने का यह एक आसान तरीका है ताकि वे इसके द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित कर सके। उस विदेशी मुद्रा से वे न केवल नयी प्रौद्योगिकी खरीद सके अपितु अपने ऋण बोझ को भी कुछ हलका करें। इसके परिणामस्वरूप राज्य की सारी सत्ता तथा समूचा उपक्रम अप्रत्यक्ष रूप से पर्यटन तथा बाल वेश्यावृति के लिये काम करने लगा है।"

हमारे देश के युवा उद्यमी इस 'उद्यम' के घातक परिणामों को पहले ही अनुभव करने लगे हैं। उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है। इसके साथ ही उन्हें गुण्डा शक्ति, धन शक्ति तथा सरकारी तंत्र का सुरक्षा आवरण उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने पहले ही 'महिलाओं के बाजार' में अपने व्यवसाय को बढ़ाना शुरू कर दिया है। बाजार की नयी शक्तियां महाविद्यालयों एवं विश्व विद्यालयों से गर्म खून, व्यावसायिक संस्थानों तथा कार्यालयों से परिष्कृत लोगों (महिलाओं), सम्मानित परिवारों के साथ सम्बन्ध रखने वाली प्रौढ़, अनुभवी एवं दुनियादार पत्नियों की मांग कर रही हैं। इसके लिये वे शक्ति का प्रयोग करती है, धोखादेही करती हैं तथा तरह-तरह के आर्थिक प्रलोभन देती हैं। वैश्वीकरण के उद्देश्यों-निर्यातोन्मुखी विकास को अपने सामने रखते हुए उदीयमान 'व्यवसायी' विदेशी मुद्रा अर्जित करके देश में ला रहे हैं। उनका सामान है-हाड़ मांस और हाड़ मास के उत्पाद जैसे ब्लू फिल्में तथा बलात्कार से सम्बन्धित वीडियो टेप। इसके लिये विदेश में बना बनाया बाजार मिल जाता है। उनको केवल एक समस्या का सामना करना पड़ता है। वह समस्या है हमारे समाज का पिछड़ापन।

वे अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य के अनुसार नयी पीढ़ी को भविष्य के 'मुक्त बाजार' के लिये तैयार कर रहे हैं। प्रतिदिन सरकारी स्वामित्व वाले तथा सरकारी नियंत्रण वाले दूरदर्शन, स्टार तथा केबल पर तथा कालेजों में विशिष्ट 'शैक्षणिक' गतिविधियों एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे चोली के पीछे क्या है :, मैं चीज बड़ी हू-इत्यादि का आयोजन किया जाता है। इसका संदेश स्पष्ट है-इस विश्व में जहां प्रत्येक उपभोक्ता वस्तु बिक्री के लिये है, आप स्वयं को कैसे बेच सकते हैं, इसे सीखिये। यदि आप में यह गुण आ गया है तो इतरा कर इसका प्रदर्शन करें। यदि आप जीवन का आनंद लेना चाहते हैं तो उसका मूल्य चुकाना सीखिये। सती सावित्रियों, हैलो ममता कुलकर्णी तथा सुष्मिता सेन पर काम की कीजिये। ऐसी रिपोर्टों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही है जिनमें महाविद्यालयों की छात्राओं तथा होस्टलों में रहने वाली लड़कियों में अधिक धन कमाने की लालसा झलकती है। ये लड़कियां अच्छे घरों की होती हैं किन्तु धन कमाने के लिए काल गर्ल तक बनने को तत्पर रहती हैं। इस प्रकार वे अपने खाली समय का उपयोग भारी धन लाभ के लिये करना चाहती हैं! इन रिपोर्टों का संदेश स्पष्ट है!

किन्तु अभी भी इसके अपवाद विद्यमान हैं। भारत एक ऐसा समाज है जहां इस कंप्यूटर युग में भी माता-पिता अपनी बेटी की शादी उसके 20 वर्ष पूरे करने से पूर्व कर देना चाहते हैं। वे ऐसे वर की तलाश में होते हैं जो लड़की के लिये योग्य तथा सजातीय हो। उन दोनों की कुंडली का मिलान होना भी अनिवार्य है। यह एक ऐसा समाज है जहां अनेक अविभावक अपनी लड़की द्वारा किसी युवा व्यक्ति से बातचीज करने के विचार मात्र से ही भयभीत हो जाते हैं। उसे अकेली बाहर भेजने की तो बात ही छोड़िये। वास्तविकता तो यह है कि जलगांव इस अल्ट्रा-उपभोक्ता साम्राज्यवादी संस्कृति को यहां की अर्धसामंती संस्कृति पर आवश्यकता से अधिक लादे जाने की कठिनाईयों को ही प्रतिबिम्बित करता है। यह एक ऐसा समाज है जहां बढ़ रही बौद्धिक तथा आर्थिक उमंगे लड़कियों को पहले महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने तथा फिर रोजगार पर लगाने के लिये प्रेरित करती हैं। इस प्रकार वे बुर्जुआ श्रम बाजार में अपना शोषण कराने के लिए तैयार हो जाती है। अत्याधिक काम, ओवर टाइम, कम वेतन, रोजगार की असुरक्षा और इसके साथ-साथ पुरुषों की छेड़खानी और लैंगिक हमलों जैसी स्थिति का सामना उन्हें करना ही पड़ता है। नयी आर्थिक नीतियों द्वारा अविष्कृत अल्ट्रा उपभोक्तावाद इस शोषण के अवसरों को बढ़ा रहा है। सैंकड़ों महिलाओं की यही त्रास्दी है। किन्तु हमारी अर्धसामंती संस्कृति जो नारी की पवित्रता और कौमार्य को महत्व देती है, बाजार की इस संस्कृति से उसकी रक्षा करने की सामर्थ्य नहीं रखती। वह उसे चुप रहने का उपदेश देती है तथा कहती है कि यदि उस पर किसी प्रकार का कामुक हमला हुआ है तो उसकी चर्चा तक न करे।

यदि वह अपने पर हुए अत्याचार की कहानी कहती है तो दोहरे अत्याचार से पीड़ित होती है। इससे उसके एक और बलात्कार, भयादोहन तथा प्रताड़ना के लिये हरी झंडी मिल जाती है।

जनवादी महिला समिति द्वारा

उत्तराखंड की आंदोलनकारी महिलाओं पर पुलिस अत्याचार की निंदा

अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की महासचिव कामरेड बृंदा कारात ने निम्न लिखित वक्तव्य जारी किया है।

अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति उत्तराखंड की जन सभा में भाग लेने के लिये दिल्ली आ रही महिलाओं पर पी ए सी जवानों द्वारा किये गए कामुक हमलों की अलग रूप से समयबद्ध न्यायिक जांच कराने की मांग करती है।

जांच के समय इस तिरस्कारणीय घटना के लिये उत्तरदायी तत्वों का पता लगाया जाए। इसके साथ ही जनवादी महिला समिति उत्तराखंड समर्थक कार्यकर्ताओं पर जो जनसभा में भाग लेने के लिये जा रहे थे, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराई गई पुलिस फायरिंग की निंदा करती है। वह मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी एकजुटता एवं संवेदना व्यक्त करती है। समिति इस आंदोलन में शामिल होने वाली महिलाओं का दमन करने तथा उन्हें परेशान किये जाने सम्बन्धी कार्रवाईयों की तीव्र निंदा करती है। पहाड़ी क्षेत्र की महिलाओं को विभिन्न सरकारों की नीतियों के कारण पूरे क्षेत्र का विकास न होने की स्थिति में सर्वाधिक परेशानी भेलनी पड़ती है। हाल ही में किये गए एक अध्ययन से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों की महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा अधिक घंटों तक काम करना पड़ता है और वहां की आर्थिकता महिलाओं पर ही निर्भर करती है। आंदोलन में महिलाओं का भारी संख्या में शामिल होना ही इस तथ्य की पुष्टि करता है। उनका आदर करने की अपेक्षा सरकार उन्हें झुकाने के लिये उनका दमन कर रही है। समिति मांग करती है कि पहाड़ी जनता विशेष रूप से महिलाओं पर थोपा गया पुलिस राज तुरंत समाप्त किया जाए। वह मांग करती है कि सरकार जाति भेद किये बिना समूचे पहाड़ी क्षेत्र की जनता के लिए आरक्षण के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के सुझावों को कार्यरूप दे। वह मांग करती है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें इस समस्या के समाधान हेतु पहलकदमी करें।

[पेज दो से]

बहुत ऊंची थी और नरसिम्हा राव सरकार की आर्थिक नीतियों के विरोध में उनका आक्रोश देखते ही बनता था। महाराष्ट्र के एक जनपद नासिक में 27 सौ कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी। इनमें डेढ़ सौ महिलाएं थीं। शोला पुर में 419 कार्यकर्ताओं जिनमें 319 महिलाएं थीं, ने गिरफ्तारी दी। बिहार में भी भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी है। एटा में गिरफ्तारी देने वाले सात सौ कार्यकर्ताओं में पांच सौ महिलाएं थीं। कर्नाटक, त्रिपुरा, बिहार, तमिलनाडु तथा अन्य राज्यों में भी महिलाओं ने अपना कोटा पूरा किया है।

29 सितंबर की आम हड़ताल तथा उस समय 5 राज्यों में हुआ बंद कांग्रेस सरकार की आर्थिक नीतियों के विरुद्ध उमड़ते जन आक्रोश को ही दर्शाता है। दूरसंचार के निजीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों में पूंजी विनिवेश, खाद्य पदार्थों के मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि, उचित मूल्य दुकानों में उपभोक्ता वस्तुओं की कमी, भ्रष्टाचार तथा अब प्लेग की महामारी इत्यादि शासन करने में कांग्रेस-इ की असमता को ही दर्शाते हैं। स्मरण रखने योग्य महत्वपूर्ण बात तो यह है कि एयरलाइन्स सहित जनता के सभी वर्ग राष्ट्रीय मंच में शामिल होने के लिये आगे बढ़े हैं। लाखों आंगनवाड़ी कर्मचारी भी अनेक स्थानों पर हड़ताल में शामिल हुए हैं जबकि उन्हें अपनी परियोजनाओं के निजीकरण के खतरे का सामना करना पड़ रहा है। वे संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में इससे भी बड़ी हड़ताल कर सकते हैं जिसका आह्वान कलकत्ता में होने जा रहे द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा किये जाने की सम्भावना है।

जन संगठनों के राष्ट्रीय मंच की बैठक शीघ्र होगी जिसमें कार्रवाई के भावी कार्यक्रम का निर्धारण किया जाएगा। हम हड़ताल में भाग लेने के लिए सभी महिलाओं तथा कामकाजी महिलाओं हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इसके साथ ही हम उन्हें अनुरोध करते हैं कि राष्ट्रीय मंच के आह्वान पर वे फिर अपनी वृहत भूमिका का निर्वहन करें।

बुक पोस्ट